कार्यालय, नगर परिषद्, हिसुआ (नवादा)

पत्रांक ...88.   दिनांक ...20/1/25

आम सूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4081, दिनांक–26/12/2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश के आलोक में स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है जिसकी विवरणी निम्नत् है :–

स्वच्छता साथी के जिम्मेदारी, चयन प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश

स्वच्छता साथी कौन होंगे :–

1. स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है परन्तु स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. अभ्यर्थी की उम्र 40 वर्ष से अधिक ना हो।
3. अभ्यर्थी को कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए।
4. अभ्यर्थी की आवाज साफ हो ताकि वे अच्छे से बातचीत कर सके।
5. अभ्यर्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
6. अभ्यर्थी के रूप में Waste Picker, Citizen Leader, SHG Member, Swachhagarhi, Sanitation worker, Brand Ambassadors एवं NULM, ASHA, Anganwadi Worker, NGO's Youth, Community Based Organisation, RWAs से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते है।
7. नगर परिषद् स्तर पर कुल संख्या– 10 (दस) स्वच्छता साथी।

स्वच्छता साथी को मिलने वाले लाभ :–

1. कार्य अवधि पाँच घण्टे प्रतिदिन न्यूनतम होगी।
2. प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जाएगी।
3. छुट्टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
4. मानदेय प्रत्येक माह के एक से पाँच तारीख तक देय होगा।
5. प्रतिदिन रुपये 300/– के दर से प्रतिमाह 20 दिन का मानदेय 300X20=6,000/- (छः हजार रुपये) मानदेय के रूप में देय होगा।
6. स्वच्छता साथी को संविदा पर एक वर्ष के लिए रखा जाएगा, जिसकी अवधि अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई जा सकती है।
7. प्रत्येक स्वच्छ साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए कार्य पर रखा जाएगा।
8. 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा जो वर्ष के किसी भी 10 माह (स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए) में मान्य होगा।
9. सभी स्वच्छ साथी को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी लोक स्वच्छता पदाधिकारी की होगी।
10. छुट्टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधि मामले लोक स्वच्छता पदाधिकारी देखेंगे।
11. किये गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोषजनक नहीं होने पर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

स्वच्छता साथी के चयन का उद्देश्य-

i) शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नागरिकों को जागरूक करना एवं उन्हें उत्तरदायी बनाना।

ii) शहर को कचरा मुक्त बनाने में नागरिकों की भूमिका पर उन्हें जागरूक करना।

iii) नगरिकों के बीच triggering करना और कचरे के लिए असहिष्णुता की भावना को बढ़ाना।

iv) नगरिकों को स्वच्छ परिवेश के लाभों के प्रति सचेत करना।

v) कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए वांछित व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करना।

नोट : यह किसी भी प्रकार से स्थायी पद नहीं है, अतः किसी भी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।

ज्ञापांक ...88... /हिसुआ, दिनांक ...20/1/25

प्रतिलिपि : सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, हिसुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय/माननीया मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद/एवं सभी वार्ड पार्षद को सूचनार्थ प्रेषित।

20/1/2025

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, हिसुआ,
(नवादा)

20/1/25

20/01/25